सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

18.05.2018

आदेश

यह पत्रावली बमुकाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श ढूंढा पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम नागणेचियान ढूंढा पटवार क्षैत्र कवास में स्थित खेत खसरा संख्या 774/582 रकबा 59.00 बीघा के आये हुए है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि उनके पिता गोमदगर को आंवटन की गई थी, जिस पर प्रार्थीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 सुरजीत प्रहराज ने प्रार्थीगण के पिता से अपने पक्ष बिना प्रार्थीगण को बुलाये बहला-फूसलाकर अपने पक्ष में बेचान नामा उप पंजीयक बाडमेर के कार्यालय में दिनांक 17.03.2007 को पंजीबद्ध करवा दिया, जो निरप्रभावी है। क्यों कि विक्रय की गई भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है और बेचान नामे में उनकी कोई सहमति नही ली गई है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे, के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई सबूत विद्यमान नही है। प्रार्थीगण के कथित हिस्से तक विक्रय पत्र शून्य निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा है, जबकि पंजीबद्ध विक्रय पत्रों को शून्य

सहायक कलक्टर (SDO) बाडमेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 173/2017 अनवान स्वरूपगर बनाम सुरजीत प्रहराज

घोषित करने का क्षैत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रकट नही होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner